

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 14/09/2026

संख्या-14/प्रो-805/2026- 16833/सां०प्र०-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्या-636, दिनांक-10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती) एवं गृह जिला,	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2026 के अनुसार)	वर्तमान कोटि
1	2	3	4
1.	राजीव शंकर, गयाजी	11	अपर समाहर्ता
2.	सिम्ली प्रसाद, पटना	13	अपर समाहर्ता
3.	अनिल कुमार, गयाजी	86	अपर समाहर्ता
4.	राजेश कुमार, सारण	118	अपर समाहर्ता
5.	संजीव कुमार सिंह, समस्तीपुर	162	अपर समाहर्ता
6.	गौतम कुमार, पटना	185	अपर समाहर्ता
7.	सुषमा, शेखपुरा	195	अपर समाहर्ता
8.	देवेन्द्र सुमन, पटना	202	अपर समाहर्ता
9.	सुनील कुमार रंजन, बाँका	205	अपर समाहर्ता
10.	पवन कुमार मंडल, दरभंगा	259	अपर समाहर्ता

- यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।
- उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-13) में उत्क्रमित किया जाता है।
- उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जगदीश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-14/प्रो-805/2026-16833 /सा0प्र0 पटना-15, दिनांक- 14/09/2026
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र
में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम
से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा
निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय
उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार,
पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित
जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त
सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा
इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं 29
(बि0प्र0से0 चारित्री कोषांग), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।